1800

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 04/06/2021

Certificate No. T0D2021F175

GRN No. 77601014

Stamp Duty Paid : ₹ 55020

Penalty : ₹ 0

Seller / First Party Detail

Name: Rishikul Vidhyapeeth Educational trust
H.No/Floor : X
Sector/Ward : X
LandMark : X
City/Village : Delhi
District : Delhi
State : Delhi
Phone: 94******74

Buyer / Second Party Detail

Name: Mk Educational Trust
H.No/Floor : X
Sector/Ward : X
LandMark : X
City/Village: Delhi
District : Delhi
State : Delhi
Phone : 94******74

Purpose : lease deed

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पट्टानामा मकान सकनी मालयति 1,20,000/– महीना

बराये अरसा 33 साल, औसत किराया एक साल 4,58,181/–

बर स्टाम्प 55,020/–

****

स्टाम्प ड्यूटी 1800/– दाखिल भारतीय स्टेट बैंक सोनीपत द्वारा जीःआरःएनः नं0–45145791 तथा स्टाम्प प्रमाणित ई स्टाम्प हरियाणा सरकार द्वारा सर्टिफिकेट सीरियल नं0–टीः0वीः2019सीः383 दिनांकः–22–03–2019

****

ऋषिकुल विद्यापीठ ऐजूकेशनल ट्रस्ट देहली

बहक

एमः केः ऐजूकेशनल ट्रस्ट देहली

****

हम जो 1–ऋषिकुल विद्यापीठ ऐजूकेशनल ट्रस्ट देहली जिसका रजिः आफिस खसरा नं0–617 अलीपुर देहली है, द्वारा इसके चेयर मैन नीरज पुत्र श्री श्रीकृष्ण निवासी मकान नं0–407 सैक्टर 14 सोनीपत जिसे ट्रस्ट के रैजूलेशन दिनाकं 06–02–2021 द्वारा ट्रस्ट की निम्नलिखित जमीन का पटटा रजिस्ट्री कराने का

Neeraj

प्रलेख नं:1800 दिनांक 07-06-2021

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील सोनीपत गांव/शहर 174-सोनीपत शहर स्थित 169- [illegible]

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के अन्दर अन्य क्षेत्र

पता : सोनीपत

भवन का विवरण

कृषि चाही 9 Bigha12 Biswa0 Biswansi

धन सबंधी विवरण

राशि 456181 रुपये कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 54981 रुपये

स्टाम्प नं : [illegible] स्टाम्प की राशि 55020 रुपये पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 10000 रुपये EChallan:77601041

Service Charge:200

Drafted By: विरेन्द्र बत्रा

यह प्रलेख आज दिनांक 07-06-2021 दिन सोमवार समय 2:44:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी ऋषिकुल विद्यापीठ एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली/पिता नौरंग/OTHER कम्पनी श्रीकिशन निवास सोनीपत द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी (सोनीपत)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
ऋषिकुल विद्यापीठ एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

उपरजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी (सोनीपत)

दिनांक 07-06-2021
ऋषिकुल विद्यापीठ एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली

उपरोक्त पट्टा देने वाला श्री/श्रीमती/कुमारी श्री. एम.के. एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली [illegible] पट्टा लेने वाला/OTHER कम्पनी मौजूद हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पट्टा लेने वाला ने मेरे समक्ष पट्टा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] पिता नन्दलाल निवासी सोनीपत व श्री/श्रीमती/कुमारी विरेन्द्र पिता कालूराम निवासी सोनीपत ने की। साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

उपरजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी (सोनीपत)

दिनांक 07-06-2021

अधिकार हासिल है, की है जो कि एक मन्जिल जायदाद दो मन्जिला पूर्व रूवा जिसमें करीब 38000वर्ग फुट कवर्ड ऐरिया तामीर शुदा है, बाकी खाली सहन बमय चार दीवारी तामीरा बइमारत पुख्ता बमय कीवाड़ चौखट लैन्टर दरवाजा हाय जुमला लवाजमा इमारती चौबी बमय जमीन तहत बरकबा 9 बीघे 12 बिस्वे खाम मुन्दरजा खेवट नं0–2 मिन खाता नं0–2 मिन मुन्दरजा खसरा नम्बरानः–2204/2 मिन दक्षिण(2–10), 2205मिन दक्षिण (1–15), 2209/2 मिन दक्षिण(2–0), 2210/2 मिन दक्षिण (1–6), 6901/2211 मिन दक्षिण(2–1) वाक्य अन्दर रकबा सोनीपत पटटी मुसलमानान तहः सोनीपत बरूए जमाबन्दी साल 2016–2017 हकीयत मिलकियत मकबूजा खालिस ट्रस्ट मजकूर की है। जायदाद हजा आज तक हर प्रकार के बार से मुक्त है। किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक या किसी प्राईवेट व्यक्ति के कर्जा या जिम्मेंवारी में जेर बार या बन्धक न है। इसे कबजा दखल वाकई व मालकाना खुद में बिला मुजाहमत हर प्रकार व खलल दीगरे रखता हूं। इस पर काबिज व अधिकारी हूं। जायदाद हजा के प्रति मुझे हर प्रकार का अधिकार इन्तकाल हासिल है। कोई मनाई न है।

अतः अब ट्रस्ट मजकूर ने यह जायदाद मुन्दरजा बाला बरकबा 9 बीघे 12 बिस्वे खाम (कुल कवर्ड ऐरिया करीब 38000 वर्ग फुट) बमय जुमला हक हकूक दाखली खारजी रास्ता इत्यादि बमय मकानियत मौजूदा को वास्ते इस्तेमाल बराये अरसा तेतीस साल 01–04–2021 से एमः केः ऐजूकेशनल ट्रस्ट देहली जिसका रजिः आफिस खसरा नं0–617 अलीपुर देहली है, द्वारा इसकी मैनेजिंग डायरैक्टर श्रीमती रीमा शर्मा पत्नी श्री नीरज निवासी खसरा नं0–615 ऋषिकुल विद्यापीठ स्टाफ अर्पाटमैन्ट अलीपुर देहली नीचे लिखी शर्तों पर पट्टे पर दी हैः–

1–यह कि किराया जायदाद हजा पहले पांच साल का 1,20,000/–एक लाख बीस हजार रूपये सालाना फिर अगले पांच साल का 2,40,000/–दो लाख चालीस हजार रूपया सालाना फिर अगले पांच साल का 3,60,000/–तीन लाख साठ हजार रूपया सालाना फिर अगले पांच साल का 4,80,000/– चार

Neeraj

लाख अस्सी हजार रूपया सालाना इसी प्रकार अगले पांच साल का 6,00,000/–छः लाख रूपया सालाना तथा फिर अगले पांच साल का 7,20,000/–सात लाख बीस हजार रूपया सालाना और आखरी के तीन साल का 8,40,000/–आठ लाख चालीस हजार रूपया सालाना करार पाया है, जो पटटेदार ट्रस्ट साल ब साल माह अप्रेल में पेशगी रसीद द्वारा अदा करती रहेगी। यदि किराया समय पर अदा नहीं करेगी तो जायदाद हजा से मस्तुजिब बेदखली होगी। 2–यह कि कबजा वाकई खाली जायदाद पर ट्रस्ट मजकूर को दे दिया है। 3–यह कि बाद मियाद तेतीस साल पट्टेदार जायदाद बर पट्टा को खाली करके मेरे हवाले कर देगी। बाद मियाद इस पर कबजा नही रख सकेगी। 4–यह कि पट्टेदार सस्था जायदाद हजा को वास्ते स्कूल, कालेज, इंस्टिटयूट, कोचिंग सैन्टर, टयूशन सैन्टर, ऐजूकेशनल कार्यकम चैरिटी शो के लिये प्रयोग कर सकेगी। किसी प्रकार की ऐजूकेशनल प्रोग्रैस के लिये जो ीी कार्य हो कर सकेगी। 5–यह कि जायदाद हजा में लगे कनैक्शन बिजली पानी सीवरेज आदि को पटटेदार इस्तेमाल कर सकेगी बिल बिजली पानी सीवरेज आदि पटटेदार के जिम्मे होंगे। 6–यह कि पटटेदार संस्था जायदाद हजा में स्कूल चलावे, स्कूल बनावे, कालेज बनावे, टयूबवैल लगावे, समर्सिबल लगवाये, पेड़ लगावे, मकानियत, बिलडिंग बनावे, कोई कनैशन बिजली पानी सीवरेज आदि हासिल करे, हक पटटा सबलैट करे, ट्रान्सफर करे गरजे कि जायदाद हजा को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे। उजर न होगा। 7–यह कि पटटेदार ट्रस्ट अपना स्कूल कालेज बनाने के लिये किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई परमीशन, कोई लाईसैन्स, कोई परमिट अथवा मान्यता प्राप्त कर सकेगी। जिसमें मुझे कोई उजर या एतराज न होगा। इस परमीशन या अन्य किसी प्रकार की अनुमति के लिये यदि मेरे किसी दरखास्त बयान हलफी जबानी तहरीरी की आवश्यकता होगी तो मै देने का पाबन्द रहूंगा। 8–यह कि पट्टेदार संस्था किसी भी बैंक, संस्था, सोसायटी, वित्तीय निगम से कोई लोन कोई कर्जा या सबसीडी

आदि ले सकेगी जिसमें हमें कोई उजर या एतराज न होगा लेकिन कर्जा की अदायगी की पटटेदार ट्रस्ट स्वयं जिम्मेवार होगी। अतः यह पट्टानामा जायदाद लिखा दिया कि प्रमाण हो काम आवे ताः 07–06–2021 मुताबिक 17 ज्येष्ठ 1943 शाका वीरेन्द्र कुमार बत्रा सोनीपत रजिः नं०-528 3320 ...

ऋषिकुल विद्यापीठ ऐजूकेशनल ट्रस्ट देहली पटटा देहिन्दा द्वारा इसके चेयरमैन नीरज

एमः केः ऐजूकेशनल ट्रस्ट देहली पटटा गृहता द्वारा इसकी मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रीमा शर्मा

गवाहः—अनिल लम्बरदार पुत्र श्री नन्दलाल निवासी सोनीपत

गवाहः—बिजेन्द्र पुत्र श्री कालूराम निवासी सोनीपत

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
1800	2021-2022	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- thru नीरजOTHER ऋषिकुल विद्यापीठ एजूकेशनल ट्रस्ट दिल्ली

पटटा लेने वाला :- thru रीमा OTHERमै. एम.के. एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली

गवाह 1 :- अनिल न

गवाह 2 :-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह पलेख क्रमांक 1800 आज दिनांक 07-06-2021 को बही नं 1 जिल्द नं 13808 के पृष्ठ नं 51 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 1020 के पृष्ठ संख्या 73 से 75 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 07-06-2021

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी(सोनीपत)